

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश./ 2321 /2020

दिनांक 10.12.2020

श्रीमती कृष्णा गुप्ता (RJ0812), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटारू (बारां) को दिनांक 02.01.2021 से 30.06.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (द्वितीय संतान) दिनांक 25.12.2020 से 01.01.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री अंकुर गुप्ता (RJ0858), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटारू (बारां) को श्रीमती कृष्णा गुप्ता के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटारू (बारां) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री अंकुर गुप्ता (RJ0858), जिनको वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटारू (बारां) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से
09/12/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/94/2013/ 5619

दिनांक : 10.12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 1445 दिनांक 25.11.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती कृष्णा गुप्ता (RJ0812), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटारू (बारां)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटारू (बारां)।
5. श्री अंकुर गुप्ता (RJ0858), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटारू (बारां)।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटारू (बारां)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

10.12.2020

सहायक रजिस्ट्रार